उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2

संख्या- 09 /2021/ 1901 /92-2-21-64एम/2019

लखनऊ:: दिनांक:: 04 फरवरी, 2021

कार्यालय ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर में तैनाती के दौरान जनपद-बलरामपुर के विकास खण्ड-पचपेडवा के ग्राम पंचायत मजगंवा में बार्डर एरिया डेवलेपमेन्ट योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड, विकास खण्ड-तुलसीपुर के ग्राम पंचायत गनेशपुर में बार्डर एरिया डेवलेपमेन्ट योजनान्तर्गत सी०सी० रोड के निर्माण एवं विकास खण्ड-तुलसीपुर के ग्राम पंचायत होमपुर में बार्डर एरिया डेवलेपमेन्ट योजनान्तर्गत सी०सी० रोड के निर्माण कार्यों को निरीक्षण किये बिना ही धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र प्रेषित करने हेतु बरती गयी उदासीनता हेतु प्रथमदृष्टया दोषी पाये जाने पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-102/2020/352प्र0स0/92-2-2020-64एम/2019 दिनांक 07 सितम्बर, 2020 द्वारा श्री रहमत इकबाल उस्मानी, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड बलरामपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जॉच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया ।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1873/ग्रा0अ0वि0/रह0इक0उ0/अ0जांच-बलरामपुर/2020-21 दि0 26-12-2020 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 03 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित नहीं पाया गया तथा जांच आख्या में यह अंकित है कि अपचारी अधिकारी द्वारा कार्यों का निरीक्षण उपभोग प्रमाण-पत्र प्रेषित करने के पूर्व किया गया है एवं उपभोग प्रमाण-पत्र प्रेषित करने में कोई अनियमितता नही है ।

3- अतः अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी श्री रहमत इकबाल उस्मानी, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड बलरामपुर के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-102/2020/352प्र0स0/92-2-2020-64एम/2019 दिनांक 07 सितम्बर, 2020 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त् किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

श्री राज्यपाल के आदेश से

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 09 /2021/ 1901 /92-2-21 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री रहमत इकबाल उस्मानी, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड बलरामपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

3- ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।